रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO D. (D.N.) 12

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1
प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 1987/ज्येष्ठ 28, 1909
No. 12] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 1987/JYAISTHA 28, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई, 18 जून, 1987

अधिसूचना

क.. सी.ई.आर. (14)/87-सी एल बी .—वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1986 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा निम्न अधिसूचना जारी करता हूं।

भाग—1

संक्षिप्त नाम, सीमा एवं प्रयुक्ति :—

1. (1) यह आदेश वस्त्र (उपभोक्ता संरक्षण) अधिनियम, 1987 कहलायेगा।

(2) यह आदेश पूरे भारत में लागू होगा।

(3) यह आदेश 15-8-1987 से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं :—

(1) "चिंधियों" से मतलब है, 25 सें.मी. अथवा उससे कम लंबाई के कपड़ों के टुकड़े।

(2) "डैमेज पीस" (क्षतिग्रस्त टुकड़े) से मतलब है इस अधिसूचना के परिशिष्ट—"सी" में विहित दो से अधिक दोषपूर्ण कपड़े का टुकड़ा।

(3) "व्यापारी" से मतलब उस व्यक्ति से है जो ऊन टॉप, धागे या कपड़े का होलसेल या खुदरा व्यापार करता हो चाहे वह अन्य व्यापार से संलग्न हो या न हो।

(4) "एक्स फैक्ट्री मूल्य" से मतलब, प्रति मीटर, प्रति जोड़ी या प्रति नग कपड़े के एक्स फैक्ट्री मूल्य से है जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिये स्वीकृत किया गया हो अथवा जिस एक्स फैक्ट्री मूल्य पर खरीदार से अनुबंध किया गया हो तथा इन दोनों में से जो भी मूल्य कम हो।

(5) "उत्पादन शुल्क सहित एक्स फैक्ट्री मूल्य" से मतलब है उपरोक्त परिभाषित एक्स फैक्ट्री मूल्य धन(+) प्रति मीटर, प्रति जोड़ी या प्रति नग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि जिस का वास्तव में भुगतान किया गया हो।

(6) "फैब्रिक्स" से मतलब, तौलियें के टुकड़ों को छोड़कर अन्य कपड़ों से है जिनकी लंबाई 50 सें.मी. से अधिक हो परन्तु एक मीटर लंबाई से अधिक नहीं हो।

(7) "निर्यात के लिये निर्मित, तथा भारत में बिक्री के लिये नहीं" कपड़े से मतलब है जिसको निर्यात स्वयं निर्माता द्वारा किया गया हो अथवा किसी निर्यातक को निर्यात के लिये आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947(1947 का 18वां) के अन्तर्गत पहले से किये गये करार के अनुसार बेचा गया हो।

(8) "अधिकतम खुदरा मूल्य" से मतलब है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहित एक्स फैक्ट्री मूल्य प्रति मीटर या प्रति जोड़ी या प्रति नग जिसमें स्थानीय करों को छोड़कर उचित व्यापारिक मार्जिन सम्मिलित है तथा "सैकंड्स" व "डैमेज" (क्षतिग्रस्त) थानों के लिये व्यापारिक प्रणाली के अनुसार उचित कम किया गया व्यापारिक मार्जिन सम्मिलित है उपभोक्ता को अन्तिम खुदरा बिक्री तक, स्थानीय करों को छोड़कर।

(9) "पैकिंग" से मतलब कपड़े की प्रत्येक तरह की पैकिंग जैसे कि रोल पैकिंग, थान पैकिंग, गांठ, बक्स तथा बोरे में पैकिंग।

(10) "कपड़े के थान" से मतलब है,

(ए) 90 सें.मी. से अधिक निरंतर लंबाई का कपड़ा

(बी) धोतियां, साड़ियां जो साधारणत. प्रति जोड़ी अथवा प्रति नग के हिसाब से बेची जाती हैं, उनकी बिना कटी हुई कुल लंबाई तथा;

(सी) रुमाल, तकियां खोल, तौलिये, कंबल, चादरें, बैडशीट तथा बैड कवर।

(11) "रेग्स" से मतलब कपड़े के 25 सें.मी. से अधिक परन्तु 50 सें.मी. से कम टुकड़ों से है।

12) "सैकन्ड्स" (द्वितीय श्रेणी) से मतलब, कपड़े के एक मीटर से अधिक लेकिन 5 मीटर से कम लंबाई के कटे हुए टुकड़ों से है अथवा एक मीटर से अधिक किसी भी लंबाई के कपड़ों से है जिसमें इस अधिसूचना के परिशिष्ट "सी" में गिनाये गये एक से अधिक दोष हों।

3. अंकन हेतु निर्देश :—

जब तक कि विशेष रूप से इस अधिसूचना में उल्लिखित न हों,

(ए) ऊन के टाप्स, धागों एवं वस्त्रों पर अंकन निम्नलिखित अनुसार निर्माता को करना होगा।

(बी) यहां उल्लिखित संपूर्ण अंकन ऊन के टाप्स, धागों एवं वस्त्रों पर पैकिंग और/या प्रदान से पूर्व निर्माता को अपने उत्पादन परिसर में करना होगा।

(सी) यह अंकन एवं छपाई किसी भी अन्य कानून के अन्तर्गत विहित अंकन के अतिरिक्त होगा।

(डी) किसी भी व्यक्ति द्वारा ऊन के टाप्स, वस्त्र अथवा धागे पर ऐसा कोई भी अंकन नहीं किया जायेगा जो भ्रामक अथवा गलत हों जिससे धोखेबाजी अथवा भ्रम की संभावना हो।

4. छूट :—

यह अधिसूचना निम्न पर लागू नहीं होगा।

(ए) वजन में 500 ग्राम से कम सूती तथा मानव निर्मित धागों का पैकेज तथा वजन में 50 ग्राम से कम ऊनी धागों के पैकेज पर।

(बी) निर्यात के लिये निर्मित वूल टाप, धागे तथा कपड़ों पर जो भारत में बिक्री के लिये नहीं है।

(सी) हथकरघा कपड़ों पर।

(डी) हथकते धागों पर।

(ई) बिना कैलेन्डर किये हुए कर्घों से उतरे कोरे कपड़ों पर।

(एफ) एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर को आगे की प्रोसैसिंग के लिये प्रदान किये कपड़ों पर।

परन्तु यह तब जब कि ऐसे कपड़ों के प्रदान की सूचना पहले ही प्रोसेसर द्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक फार्म "ए" में रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा वस्त्र आयुक्त के प्रादेशिक कार्यालय को भेज दी गई हो जिसके अधिकार क्षेत्र में दूसरी (प्रोसेसर) आता हो तथा,

दूसरे प्रोसेसर ने इस अधिसूचना के अनुलग्नक, "बी" फार्म के रजिस्टर में यह प्रदान दर्ज कर लिया हो।

(जी) हार्ड वेस्ट पर।

(एच) रस्सी, टैप तथा निवार पर।

(आई) डायमंड जालीदार मच्छरदानी पर जिसके थान चौड़ाई में किसी भी स्थान पर दाहिने कोण से पूरी लम्बाई तक 15 सें.मी. से अधिक न हो।

(जे) टायर कार्ड धागों पर।

(के) तैयार वस्त्रों के निर्माता सहित औद्योगिक उपयोग के लिये उद्योग को प्रदान किये गये वस्त्र पर परन्तु उस दशा में जब कि कपड़े के दोनों सिरों पर "सिर्फ औद्योगिक उपयोग के लिये, स्थानीय बिक्री के लिये नहीं" शब्द अंकित हों।

(एल) काप बाटम से रील किये गये टूटे तथा गंठीले धागों पर।

5. सहनसीमा :—

इस अधिसूचना में निर्दिष्ट लम्बाई, चौड़ाई, काउंट, डेनियर या वजन इत्यादि के प्रत्येक अंकन हमेशा ट्रेड एण्ड मर्केंडाइज मार्क्स अधिनियम, 1958 (1958 का 43) की धारा 95 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना में दी गई सहन सीमा के अनुरूप होंगे।

6. विविध

(1) अंकन अथवा मुहर के शब्द देवनागरी लिपि हिन्दी में या अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में होंगे तथा अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा जब कि कोई और निर्देश इस विषय पर खास तौर पर नहीं दिया गया हो।

(2) इस अधिसूचना में विहित भाषाओं के अतिरिक्त कपड़ों पर अंकन अन्य भाषाओं में भी किये जा सकते हैं।

(3) प्रयोग में लाये जाने वाले अक्षर एवं अंको की लम्बाई :

(ए) भाग दो, तीन तथा चार में निर्दिष्ट अंकन के लिए 0.5 सें.मी. से कम न हो;

(बी) भाग एक में निर्दिष्ट कोण में पैक किए गए धागों पर अंकन 0.25 सें. मी. से कम न हो, तथा

(सी) भाग पांच में निर्दिष्ट अंकन के लिए 3 सें. मी. से कम न हो।

(4) इस अधिसूचना के अंतर्गत अनियंत्रित कपड़े के थान की ऊपरी तह तथा किनारी पर तथा अनियंत्रित कार्डी की गांठों एवं पैकेज पर किया जाने वाला अंकन लाल के अतिरिक्त अन्य रंग में किया जाएगा।

7. नियमों का शिथिलीकरण :—

किसी भी निर्माता या उनके समूह को यदि इस अधिसूचना के अनुपालन में अनुचित कष्ट या दिक्कतों आती हों तो उनसे प्राप्त आवेदनों पर अपने समाधान के बाद वस्त्र आयुक्त, अपने आदेश में कारण दर्शाते हुए निर्देश दे सकते हैं कि इस अधिसूचना में विहित कोई निर्देश लागू नहीं हो अथवा कुछ सुधार के साथ उस निर्माता या उनके समूह पर लागू हों।

8. निरसनीकरण:—

वस्त्र आयुक्त की निम्नलिखित अधिसूचनाएं तत्पश्चात् रद्द हो जायेंगी।

(1) सी ई आर/3/69 दिनांक 19-9-69

(2) 65(2)/81 सी एल बी. II दिनांक 23-11-81

(3) सी ई आर/3 ए/75 दिनांक 1-10-75

ये. अधिसूचनाएं जो इस के द्वारा रद्द की गई हैं उनके अंतर्गत जो भी आदेश दिए गए, अधिकार प्राप्त हुए दण्डित हुए या अन्य कोई कार्य किया या किया हुआ माना गया वे सब इस अधिसूचना में संबंधित उपबन्धों के अंतर्गत जारी किए गए, प्राप्त हुए या दण्डित हुए माने जायेंगे।

भाग 2

वूल टाप्स पर अंकन

9. ऊन के टाप्स की प्रत्येक गांठ के बाहर सुरक्षित रूप से चिपकाये गये पेपर लेबल पर निम्न अंकन किये जाये:—

(ए) निर्माता का नाम एवं पता।

(बी) शुद्ध वजन किलो में।

(सी) रेशों की लंबाई मिली मीटर में।

(डी) मिश्रित ऊनी टाप्स (ब्लेण्डित वूल टाप्स) के संदर्भ में "ब्लेण्डिड वूल टाप्स" शब्दों के पश्चात् पैक किये हुए वूल टाप्स में मौजूद प्रत्येक रेशे के अनुपात का वास्तविक प्रतिशत निम्नलिखित रूप में अंकित किया जाये:—

ऊन	45 प्रतिशत
पोलिएस्टर	40
विस्कोस	15 प्रतिशत

(ई) वजन में कम से कम 95 प्रतिशत ऊन होने पर 'शुद्ध ऊन" / "प्योर वूल" शब्द अंकित किये जायें।

भाग —3

धागे पर अंकन

10. निर्माता द्वारा भारत में बिक्री हेतु कते हुए धागे के बंडल/पैकेज पर निम्न अंकन पेपर लेबल पर अंकित कर भली-भांति चिपकाया जाये :—

(ए) निर्माता का नाम एवं पता।

(बी) धागे का विवरण रेशे (फाईबर) के अनुसार यदि वह एक ही रेशे से काता गया हो जैसे कि "सूती धागा" "पोलिएस्टर धागा" "विस्कोस धागा" इत्यादि। ऊनी धागे के संदर्भ में।

"वर्स्टेड धागा", "सेमि-वर्स्टेड धागा", "शोडी धागा", हैण्ड निटिंग धागा" जैसा भी हो—अंकित किया जायें।

(सी) जब धागे की कताई में दो या अधिक रेशे (फाइबर) प्रयुक्त किये गए हों तो "ब्लैण्डिड स्पन धागा" शब्द के पश्चात् प्रत्येक फाइबर के प्रजातिगत नाम तथा उसके अनुपात का उचित प्रतिशत निम्न रूप से अंकित किया जाए।

"ब्लैण्डिड स्पन धागा"

रुई	60 प्रतिशत
पोलिएस्टर	40 प्रतिशत

अथवा

पोलिएस्टर	40 प्रतिशत
रुई	38 प्रतिशत
विस्कोस	22 प्रतिशत

अथवा

ऊन	45 प्रतिशत
पोलिएस्टर	40 प्रतिशत
विस्कोस	15 प्रतिशत

जब किसी धागे में किसी रेशे का अनुपात 2 प्रतिशत से कम हो तो उसे अंकित करने की आवश्यकता नहीं है।

(डी) धागे का काउंट।

(ई) सूती एवं कृत्रिम रेशे से कते हुए धागे के संदर्भ में "ली ब्रेकिंग स्ट्रेंग्थ" के आंकड़े देने के पश्चात् सी एस पी शब्द अंकित किये जाये;

(एफ) सूती धागे एवं कृत्रिम रेशों के धागे के बंडल का वजन किलो में तथा ऊनी धागे के लिए ग्रामों में वास्तविक वजन अंकित अंकित किया जाये;

(जी) पैकिंग का माह एवं वर्ष।

(एच) वजन में 95 प्रतिशत तक तथा ऊन होने पर "प्योर वूल" (शुद्ध ऊनी) शब्द अंकित किये जायें।

(आई) जब धागा कई धागों से मिलकर बटा हुआ हो तो उसकी परतों (धागे) की संख्या।

(जे) सूती धागों तथा कृत्रिम (मैन मेड फाइबर) से कते हुए धागों में भिन्नता का गुणांक (सी वी)

टिप्पण:— (i) सूती अथवा कृत्रिम (मैन मेड फाइबर) से काते गए धागों के काउंट अंग्रेजी काउंटों के अनुरूप हों तथा ऊनी धागों के ये काऊंट नये मैट्रिक काउंट (ए. एम) में अंकित किये जाएं।

(ii) धागे यदि कोन पर हों तो उपरोक्त अनुसार अंकित लेबल कोन के भीतर भाग में चिपकाए जाएं तथा यदि धागे बीम पर हैं तो अंकित लेबल बीम पर सुरक्षित रूप में चिपकाए जाएं।

11. निर्माता द्वारा भारत में बिक्री हेतु कृत्रिम अविछिन्न फिलामेंट धागों के बंडल/पैकेज पर निम्न अंकन पेपर लेबल पर अंकित करके भली-भांति चिपकाए जाएं :—

(ए) निर्माता का नाम एवं पता।

(बी) पैकेज में धागों का शुद्ध वजन किलोग्राम में।

(सी) फिलामेंट की संख्या सहित धागों का डेनियर एवं प्रति मीटर ट्विस्ट के पूर्व "फिलामेंट यार्न" शब्द तथा उसके प्रजातिगत नाम जैसे कि :—"पोलिएस्टर", "विस्कोस", "नायलोन पोलिनोसिक" "एक्रेलिक" इत्यादि, जैसा भी निम्न रूप में दिये जाए :—

"पोलिएस्टर फिलामेंट धागा—40/12/600".

टिप्पण:—कोन्स/कोप्स पर कृत्रिम (मैन मेड) फिलामेंट यार्न होने पर शुद्ध वजन किलो में ऊपर दिये गये आइटम "बी" के अनुसार प्रत्येक कोन/कोप पर अंकित न करके उनके डिब्बे (कार्टन) पर ही अंकित किए जाए।

भाग—4

अनियंत्रित वस्त्र पर अंकन

12. मूल्य अंकन :—

(1) अनियंत्रित वस्त्र की किस्मों के प्रत्येक थान की ऊपरी तह पर निम्नलिखित अंकन किया जाएगा:—

(ए) निरंतर लम्बाई के कपड़े के थानों पर प्रति मीटर :

(i) "उत्पादन शुल्क सहित एक्स-फैक्ट्री मूल्य" तथा उसकी रकम प्रति मीटर ।

(ii) अधिकतम खुदरा मूल्य (स्थानीय कर अतिरिक्त) तथा खुदरा मूल्य की रकम प्रति मीटर अंकित की जाएं।

(बी) निश्चित लंबाई में बिकने वाली साड़ी, धोती, चादर, रूमाल, तकिये के कवर, नेपकिन, तौलिए, कम्बल इत्यादि पर—

(i) एक्स फैक्ट्री मूल्य प्रति जोड़ी उत्पादन शुल्क के साथ एवं इस मूल्य की रकम अंकों में।

(ii) प्रति जोड़ी अधिकतम खुदरे मूल्य की रकम अंकित की जाये (स्थानीय कर अतिरिक्त) तथा इसकी रकम अंकों में।

(iii) जब ऐसे वस्त्र जोड़ी में पैक हों तो उसके दूसरे नग के सिरे पर अधिकतम खुदरा मूल्य प्रति नग (स्थानीय कर अतिरिक्त) एवं प्रति नग के अधिकतम खुदरा मूल्य की रकमें अंकित की जाएं।

(सी) उपरोक्त मद "बी" में विहित कपड़े जब नगों में पैक किये गये हों तब प्रत्येक की ऊपरी तह पर—(1) शब्द उत्पादन शुल्क सहित एक्स फैक्ट्री मूल्य प्रति नग तथा उसकी रकम, (2) प्रतिनग अधिकतम खुदरा मूल्य (स्थानीय कर अतिरिक्त) तथा उसकी रकम अंकित की जायें।

(2) निरंतर लंबाई वाले कपड़े के थान के प्रत्येक मीटर की दूरी पर किनारे से 2.5 सें. मी. की ऊंचाई पर अधिकतम खुदरा मूल्य, प्रति मीटर, (स्थानीय कर अतिरिक्त) तथा उसकी रकम अंकों में बारी-बारी से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में तथा देवनागरी लिपि हिंदी में अंकित किये जायें।

(3) अनियंत्रित वस्त्र पर इस अधिसूचना में विहित मूल्य अंकन के अतिरिक्त अन्य कोई मूल्य अंकन न किया जाये।

13. अन्य अंकन

अनियंत्रित वस्त्र किस्मों के प्रत्येक थान की ऊपरी तह पर निम्नलिखित अंकन किये जायें:—

(ए) निर्माता का नाम एवं पता।

(बी) वस्त्र का विवरण उदाहरणार्थ—धोती, साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग इत्यादि।

(सी) वस्त्र की किस्म संख्या।

(डी) लंबाई मीटर में तथा चौड़ाई सें. मी. में।

(ई) पैकिंग का माह एवं वर्ष।

(एफ) डायरेक्ट रंगों में रंगे हुए वस्त्रों अथवा डायरेक्ट रंगों में रंगे धागे से निर्मित वस्त्रों के लिए "डाईड इन डायरेक्ट कलर नॉट फास्ट टू ब्लीच" शब्द लिखे जायें।

(जी) सेकंड्स-द्वितीय श्रेणी अथवा क्षतिग्रस्त थान के लिए "सैकंड्स" अथवा "डैमेज पीस" शब्द अंकित किये जायें, जो भी लागू हों।

(एच) 95% या अधिक ऊन वाले ऊनी वस्त्रों के लिए "प्योर वूल" शब्द अंकित किये जायें।

(आई) कृत्रिम (मैन मेड) फाइबर अथवा फिलामेंट यार्न से निर्मित कपड़ों के लिए शब्द "मैन मेड फाइबर" के बाद "स्पन × स्पन", अथवा "फिलामेंट × फिलामेंट" अथवा "स्पन×फिलामेंट", जैसा भी हो अंकित किया जायें।

(जे) वस्त्र की समुचित संरचना ताने बाने के धागों में प्रत्येक घटक का वजन के अनुसार प्रतिशत निम्न रीति से अंकित किया जायें।

(1)	पोलिएस्टर	—	100%
	अथवा		
	रुई	—	100%
	अथवा		
	विस्कोस	—	100%

(ii) मिश्रित ब्लैण्डिड वस्त्रों के संदर्भ में "ब्लैण्डिड फैब्रिक" के पश्चात् वस्त्र के प्रत्येक घटक का प्रजातिगत नाम तथा वजन में उसका प्रतिशत अवरोहात्मक रीति से निम्न रूप में अंकित किया जाये :— मिश्रित वस्त्र "ब्लैण्डिड फैब्रिक"

पोलिएस्टर	—	40%
रुई	—	38%
विस्कोस	—	22%
	अथवा	
रुई	—	60%
पोलिएस्टर	—	40%
	अथवा	
ऊन	—	40%
पोलिएस्टर	—	38%
विस्कोस	—	22%

टिप्पणी : (i) शोडी ऊन के कंबलों में प्रयुक्त ऊन की मात्रा का अंकन किया जाये।

(ii) जब मिश्रित ब्लैण्डिड वस्त्र में प्रयुक्त किसी रेशे का अनुपात 2% से भी कम हो तो उस रेशे का उल्लेख करना आवश्यक नहीं

(iii) मिश्रित ब्लैण्डिड वस्त्र पर उपरोक्त वर्णित "जे" (ii) के अनुसार अंकन किनारे से 2.5 सें. मी. छोड़कर प्रत्येक दूसरे मीटर पर किया जाये।

14. पूर्व धाराओं में विहित अंकन व छपाई के अतिरिक्त वस्त्र निर्माता अथवा वह व्यक्ति जिसने उपरोक्त अंकन वस्त्र पर किये हैं अपने निजी अंकन भी कर सकते हैं यदि वे अंकन ट्रेड व मर्कंडाइज मार्क्स एक्ट, 1958 या अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत ट्रेड मार्क हो अथवा जबकि अंकन कपड़े के सही मिश्रण, बनावट, क्वालिटी व प्रोसेस को इंगित करते हों।

15. कढ़ाई किये गये वस्त्र जिन्हें अतिरिक्त धागों से सजाया गया हो। जालीदार वस्त्र, तौलिये, पर्दे के वस्त्र, टैपेस्ट्री वस्त्र, जैकार्ड वस्त्र, ऊनी सूट पीस कपड़ा, कार्डराय वस्त्र, रूमाल, उठाये गये रेशों के कंबल, चादर एवं लिंट वस्त्रों पर इस अधिसूचना के अनुसार वस्त्रों की अंकन ऊपरी तह पर अथवा अलग से कपड़े या कागज के लेबल पर अंकन करके वस्त्रों के ऊपर समुचित रीति से चिपकाया जाये अथवा सिलाई द्वारा टांक दिया जाये।

भाग-5

गांठों एवं अन्य पैकेजों पर अंकन

16. वस्त्र अथवा धागे की प्रत्येक गांठ, लकड़ी के बक्स अथवा अन्य किसी भी प्रकार के पैकेज पर निम्न अंकन निम्नलिखित रीति से किया जाये :

(ए) निर्माता का नाम :

(बी) "कोरा (ग्रे)", "धुला हुआ (ब्लीच्ड)", अथवा "रंगा हुआ (कलर्ड)" जो भी शब्द प्रत्येक गांठ, बॉक्स अथवा पैकेज के माल को समुचित रूप से वर्णित करें।

टिप्पणी :—इ : अंकन के हेतु कोरे वस्त्र एवं धुले हुए वस्त्र से अभिप्राय प्रत्येक प्रकार के कोरे अथवा धुले हुए वस्त्र से है जिसमें साड़ियां, धोतियां तथा अन्य वस्त्र जिनकी किनारी अथवा सिरे रंगे हुए हों। रंगे हुए वस्त्र से अभिप्राय धान में रंगे हुए, प्रिंट किये हुए वस्त्र अथवा ऐसे वस्त्र से है जो पूर्णतः अथवा अंशतः रंगे हुए धागों से बुने हुए हों। कोरी अथवा धुली हुई साड़ियां, तौलिया या अन्य वस्त्र जिनकी किनारी एवं सिरे केवल रंगीन है। ऐसे वस्त्र रंगीन नहीं माने जायेंगे।

(सी) "चिन्दी", "रैग", "फेब्ट्स", "सैकंड्स", या "डेमैज पीस", जैसे कि कपड़े हों।

(डी) शब्द "मिल्स शॉप बेल" गांठ अथवा पैकेज पर अंकित करें जिसमें वस्त्र निर्माता अपनी दुकान से सीधे उपभोक्ता को खुदरा बिक्री करें।

(ई) जब गांठ अथवा पैकेज में धागे हों तो :—

1. निर्माता का नाम
2. धागे के काउंट
3. पैकिंग का माह एवं वर्ष
4. किलो ग्राम में कुल वजन

अरुण कुमार, वस्त्र आयुक्त

"अनुलग्नक—ए"

फार्म

तीन प्रतियों में

(अधिसूचना क्र.सी ई आर/(14)87-सी.एल.वी. दिनांक . . . . . के संलग्न)

विषय : आगे की प्रोसेसिंग के लिए प्रेषित किये हुए वस्त्र की गतिविधि (संदर्भ धारा : 5)

1. मालिक/निर्माता द्वारा प्रोसेसिंग के लिए दिए गए वस्त्र का विवरण :		
वस्त्र का पूर्ण विवरण उदाहरणार्थ फाइबर की संरचना, विन्यास एवं अब तक किया गया प्रोसेस, किस्म संख्या ट्रेड संख्या	प्रमाण मीटरों में लम्बाई—चौड़ाई	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की ए.आर. सख्या, दिनांक :

2. प्रोसेसर द्वारा आगे किए जाने वाले प्रोसेसिंग की विगत

3. प्रोसेसिंग में लगने वाला अनुमानित समय

4. पैकिंग, अंकन संबंधी विस्तृत अनुदेश जिससे प्रोसेसर द्वारा उपरोक्त प्रोसेस पूर्ण होने पर मूल्य संबंधी अंकन भी सम्मिलित है ।

5. मालिक/निर्माता का नाम, पूरा पता, मुहर तथा हस्ताक्षर	प्रोसेसर का नाम, पूरा पता, मुहर तथा हस्ताक्षर
संदर्भ संख्या :	संदर्भ संख्या
दिनांक :	दिनांक

(रजिस्टर्ड ए/डी द्वारा)

प्रति :

वस्त्र आयुक्त के

बम्बई/अहमदाबाद/मद्रास/कानपुर/कोयम्बतूर/अमृतसर/कलकत्ता/क्षेत्रीय कार्यालयों को ।

अनुलग्नक—बी

फार्म

(अधिसूचना क्र. सी ई आर/(14) 87-सी.ए.बी.)

विषय : आगे की प्रोसेसिंग के लिए प्राप्त करने वाले प्रोसेसर द्वारा कपड़े की प्राप्ति का ब्यौरा रखने-हेतु रजिस्टर के कालम—

(संदर्भ धारा 4 एक)

1. क्रम संख्या
2. वस्त्र का पूर्ण विवरण (फाइबर मिश्रण बुनावट) एवं अब तक किया गया प्रोसेस
3. मात्रा मीटरों में लम्बाई × पना
4. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की ए.आर. संख्या, दिनांक :
5. किस्म संख्या
6. ट्रेड संख्या
7. आगे किये जाने वाले प्रोसेस की विगत
8. प्रोसेसिंग में लगने वाला अनुमानित समय
9. इस अधिसूचना के अंतर्गत (ए) पैकिंग (बी) सांविधिक अंकन के बारे में अनुदेश
10. वस्त्र पाने की तिथि
11. परिवाहक का पूर्ण विवरण
12. अपने द्वारा निकासी की तिथि तथा एक्साइज ए.आर. संख्या
13. माल भेजने की तारीख
14. पता जिसको माल भेजा गया
15. परिवहन का वितरण

फार्म—सी

(अधिसूचना क्र. सी ई आर/(14)/87-सी.एल.बी. तिथि संदर्भ धारा 2)

इस अधिसूचना के अंतर्गत निम्नलिखित सूची में दिया हुआ प्रत्येक मद दोष समझा जाएगा।

(1) 7 से.मी. अथवा अधिक लम्बाई तथा 0.6 से.मी. अथवा इससे अधिक चौड़ाई का फ्लोट वस्त्र के 10 मीटर या कम लम्बाई में अथवा साड़ी या धोती की किनारी में हो।

(2) दरार जिसमें—

(ए) प्रति 2.5 से.मी. में 48 या कम पिक्स वाले वस्त्र में यदि 3 अथवा अधिक पिक्स बुनाई में छूट गये हों।

(बी) प्रति 2.5 से.मी. में 48 से अधिक पिक्स वाले वस्त्र में यदि 4 से अधिक पिक्स बुनाई में छूट गये हों।

(3) किसी वस्त्र के मध्य में 0.3 से.मी. से बड़ा कोई छेद हो या फट गया हो किन्तु वह 0.6 से.मी. से अधिक न हो या किनारी में 0.6 से.मी. से अधिक किन्तु 1.2 से.मी. से अधिक न हो।

(4) बाने में पड़ी हुई लाइट जो पिक्स की स्पेसिंग से उत्पन्न हुई हो अथवा जो बुनाई में प्रयुक्त हुए धागे के डैमियर टेविस्ट, लस्टर, रंग के अंतर से बन गई हो।

(5) एक ही स्थान में दो से अधिक टूटे हुए/छूटे हुए ताने के धागों से बनी हुई 15 से.मी. से अधिक लम्बी दरार

(6) वस्त्र के मध्य में तेल का दिखता हुआ दाग.

(7) वस्त्र के बाने के तार चिकने हों अथवा स्पष्ट रूप से उभरा हुआ का अथवा अस्पष्ट बुनावट या प्रिन्ट में टूटा हुआ डिजाइन अथवा किसी बाहरी वस्तु के साथ में बुने जाने से बन गया धब्बा।

(8) रंगे अथवा छपे हुए वस्त्र के मध्य में पानी या मिट्टी का स्पष्ट दाग अथवा मलीन या गाढ़ा धब्बा अथवा असमान रंगाई।

(9) कोई भी छपाई का दोष जो वस्त्र के साधारण दिखावे को कम कर दे।

(10) जब कपड़े में मिलिंग, स्काउरिंग, पाइलिंग या रेजिंग दोष हों।

(11) प्रति नग में बिक्री होने वाले कम्बल आदि में किनारी की सिलाई के दोष हों।

(12) जब कपड़े में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली गांठ या ताने और बाने के धागों की गांठें कपड़े में उभरी हुई दिखाई देती हों। या स्पर्श से महसूस की जाती हों।

(13) धोती या साड़ी में सिरों की रंगीन धारियां टूट गई हों हो (इनका पैकिंग डेमेज कपड़े के रूप में हो)

(14) ऐसा संजक जिससे वस्त्र का पोत छिन्न होता हो।

(15) वस्त्र के मध्य में 0.6 से.मी. से बड़ा अथवा किनारी पर 1.2 से.मी. से बड़ा छेद हो या कट गया हो (केवल क्षतिग्रस्त कपड़े के रूप में ही पैक किया जाए)।

(16) थान की पूरी लम्बाई में स्पष्ट रूप से दिखते हुए दुहरे धाग हों (कंबल ऊनी कपड़ा के संदर्भ में)

(17) भिन्न संवर्ग दिखता हुआ धागों का जाला जो थान पर अंकित की गई लम्बाई से 5 प्रतिशत लम्बा हो (केवल ऊनी कपड़े के संदर्भ में)।

(18) कपड़े के रंग से भिन्न हल्के या गहरे रंग में किनारी को रंग से उत्पन्न रंग की असमान्यता किनारी से 1.2 से.मी. अंदर तक कपड़े की पूरी लम्बाई में हो।
(केवल ऊनी कपड़ों के संदर्भ में)

(19) रंग के शेड में धीरे धीरे थोड़ा परिवर्तन आ जाने से उस कपड़े से तैयार किये जाने वाले परिधानों के विभिन्न भागों में रंग के विभिन्न शेड दिखाई देने की संभावना हो।

(20) ऊनी वस्त्र की पूरी लम्बाई में ऊपरी परत पर यदि रंगाई में धब्बे या धारियां हों। और उनके फलस्वरूप रंग की एकरूपता न रहे।

(21) मिलिंग, स्कोरिंग, तथा रेजिंग की विभिन्नता के कारण मिलिंग तथा स्कोरिंग किए हुए ऊनी वस्त्र पर रेशों के आवरण की कमी या अधिकता।

(22) मिलिंग के समय वस्त्र पर गलत तरह की सुस्पष्ट चुन्नटें पड़ गई हों।

(23) कपड़े पर सुस्पष्ट पानी के दाग (ऊनी वस्त्र के संदर्भ में)

(24) अनियमित खिंचाव, असंतुलित अथवा दोषपूर्ण प्रोसेसिंग के कारण पूरे वस्त्र में शिकनयुक्त फिनिश जिससे कपड़ा दोषपूर्ण दिखे।

(25) गंभीर प्रकार के दोष जिनसे वस्त्र की उपयोगिता नष्ट होती हों। ऐसे कपड़े (डेमेज पीस) क्षतिग्रस्त थान की तरह पैक किये जायेंगे।

MINISTRY OF TEXTILES

Office of the Textile Commissioner

Bombay, 18th June, 1987

NOTIFICATION

No. CER|14|87-CLB.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 17 of the Textiles (Control) Order, 1986, I hereby issue the following Notification :—

PART—I

1. Short title, extent & commencement :

(1) This Notification may be called the Textiles (Consumer Protection) Regulation, 1987.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force from 15th August, 1987.

2. DEFINITIONS :

(1) "Chindies" mean cut-pieces of cloth having length 25 cm. or less.

(2) "Damaged piece" means a piece of cloth which contains more than two defects as enumerated in Appendix 'C' of this Notification or otherwise specified therein.

(3) "Dealer" means a person trading in wool tops, yarn or cloth, whether wholesale or retail and whether or not in conjunction with any other business.

(4) "Ex-factry Price" means Ex-factory price per metre, per pair or per single as the case may be of the cloth, which is accetped by the Central Excise Dept. for Central Excise Duty purpose or the Ex-factory price contracted for sale with the person to whom the cloth is to be delivered, whichever is lower.

(5) "Ex-factory Price including Excise Duty" means Extraordinary price as described above plus amount of Central Excise duty actually pa'd on the cloth, per metre or per piece or per pair, as the case may be.

(6) "Fents" mean cut-pieces of fabrics, excluding cut-pieces of towels, having length of 50 cm. or more but not exceeding one metre in length.

"Manufactured for export and not for sale in India" means exported by the manufacturer himself or sold by him, whether or not in pursuance of a pre-existing contract, to an exporter for export only, in accordance with provisions of the Imports and Exports (Control) Act 1947 (18 of 1947).

(8) "Maximum Retail Price" means "Ex-factory price inclusive of Excise Duty" per metre or per pair or per single, as the case may be, added with appropriate trade margin excluding local taxes if any, and in case of "Seconds" and "Damaged Piece", at appropriately reduced trade margin, in accordance with the prevailing trade practices, for final sale to the consumer in retail, but exclusive of local taxes if any.

(9) "Packing" means all types of packing such as roll packing, piece packing, packing in bale, case or bag etc.

(10) "Pice of Cloth" means —

(a) cloth in any running length exceeding 90 cm.

(b) dhoties and sarees, ordinarily sold by pair or piece, the total length of such uncut cloth, and

(c) handkerchiefs, pillow cases, towels, chaddars, blankets, bed-sheets and bed covers.

(11) "Rags" mean cut pieces of fabrics having length more than 25 cm. but less than 50 cm.

(12) "Seconds" means a cut-piece or cloth exceeding one metre but less than 5 metres in length, or cloth of any length above one metre having more than one defect as enumerated in Appendix 'C' of this Notification.

3. DIRECTIONS REGARDING MARKING :
Unless otherwise specified in this Notification,

(a) The markings on wool tops, yarn and cloth as prescribed in this Notification shall be complied with by the manufacturer.

(b) All markings specified herein shall be made by the manufacturer on wool tops, yarn and cloth in concerned manufacturing premises before their packing and|or delivery.

(c) These markings and stampings will be in addition to any other markings specified under any other law.

(d) No fake or misleading markigns shall be made on wool tops, yarn and cloth by any person.

4. EXEMPTION :

Nothing in this Notification shall apply to :

(a) Package of cotton and man-made fibre yarn below 500 gm. in weight and package of woollen yarn below 50 gm. in weight.

(b) Wool top, yarn and cloth manufactured for export and not for sale in India.

(c) Handloom cloth.

(d) Hand spun yarn.

(e) Loom—state uncalendared Grey cloth.

(f) Cloth delivered by a processor to another processor for further processing.

Provided intimation regardign movement of such cloth is sent before hand by the former, in the Form at Annexure 'A' of this Notification, by Registered Post, to the Regional Office of the Textile Commissioner under whose jurisdiction the latter falls, and,

Provided movement of such cloth is recorded by the latter in the register maintained by him for this purpose in the Form at Annexure 'B' of this Notification.

(g) Hard waste.

(h) Ropes, tapes and newar.

(i) Any piece of diamond mesh mosquito netting not exceeding 15 cm. in width at any point in the direction at right angles to the longest length.

(j) Tyre cord yarn.

(k) Cloth delivered directly for industrial use to the industry, including manufacturer of readymade garments, provided the cloth is stamped with the words "For Industrial use only and not for Local Sale" on both ends of the piece.

(l) Yarn reeled off from cop bottom having loose ends or knots.

5. TOLERANCE :

Every marking specified in this Notification in respect of length, width, count, denier or weight etc. shall be always subject to the relevant limits of variation laid down in Notifications issued under Section 95 of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958).

6. MISCELLANEOUS :

(1) Unless otherwise specifically provided in this Notification, the markings or stampings, as the case may be, of words and letters shall be in Hindi in Devnagari script or in English in capital letters and the numerals marked shall be the international numerals.

(2) The markings prescribed under this Notification, can also be made in other languages, in addition to languages specifically prescribed in this Notification.

(3) The height of the letters and figures used shall not be :

(a) less than 0.5 cm. for the markings specified under Part II, III and IV.

(b) Less than 0.25 cm. for markings to be made in case of yarn packed in cones specified under Part I, and

(c) Less than 3 cm. for the markings specified under Part V.

(4) The markigns to be made under this Notifications on the face plait and selvedges of non-controlled cloth pieces and on bales or packages of non-controlled cloth shall be made in colour other than red.

7. RELAXATION :

Where, on an application made by any manufacturer or class of manufacturers or otherwise, the Textile Commissioner is satisfied that any direction issued by him under this Notification causes undue hardship or difficulty to any such manufacturer or class of manufacturers, he may, by an order, for reasons to be recorded in writing, direct that the directions shall not apply, or shall apply subject to such modifications, as may be specified in the order, to such manufacturer or class of manufacturers.

8. REPEAL & SAVINGS :

The following Notifications of the Textile Commissioner shall stand repealed after the commencement of this Notification :—

(a) No. CER|3|69 dated 19-9-1969.

(b) No. 5(2)|81-CLB.II dated 23-11-1981.

(c) Nor. CER|3A|75 dated 1-10-1975.

Privided that any order made, right accrued, penalty incurred, or anything done or deemed to have been made under the Notifications so repealed, shall be deemed to have been made, issued, accrued, incurred or done under the corresponding provisions of this Notification.

PART II—Marking of Wool Tops

9. On paper label securely pasted on the outside of each bale containing Wool Tops, the following markings shall be made :—

(a) Name and address of the manufacturer.

(b) The net weight in Kg.

(c) Mean fibre length (in mm).

(d) In case of blended wool tops, the words "Blended Wool Tops", followed by exact percentage of each of the different types of fibre present in the wool tops packed, as illustrated below :—

Wool	...	45 per cent
Polyester	..	40 per cent
Viscose	..	15 per cent

(e) The words "Pure Wool" in case the wool tops contain at least 95 per cent wool by weight.

PART III—Markings on Yarn

10. In the case of spun yarn, the following markings shall be made on yarn by the manufacturers, on paper label securely pasted or attached on the bundle| package of yarn meant for sale in India:—

(a) Name and address of the manufacturer.

(b) When spun from one fibre, the words "Cotton Yarn", "Polyester Spun Yarn", "Viscose Spun Yarn" etc. and in case of woollen yarn, "Worsted Yarn", "Semi-Worsted Yarn", "Shoddy Yarn", "Hand Knitting Yarn" etc. as the case may be.

(c) When two or more fibres have been used in the manufacture of the yarn, the words, "Blended Spun Yarn" followed by the generic name of each fibre and its exact percen-

tage in the yarn, as illustrated below:—
"Blended Spun Yarn"

Cotton	...	60 per cent
Polyester	...	40 per cent
	or	
Polyester	..	40 per cent
Cotton	...	38 per cent
Viscose	.	22 per cent
	or	
Wool	...	45 per cent
Polyester	...	40 per cent
Viscose	..	15 per cent

Provided that when the percentage of any fibre is less than 2 per cent of the total fibre content in the yarn, the percentage of such fibre need not be stamped.

(d) Count of yarn.

(e) The words "Lea Breaking Strength" followed by the figure indicating C.S.P. in case of cotton yarn and man-made fibre spun yarn.

(f) Net weight of yarn in the bundle in kg. in case of cotton yarn and manmade yarn; and in gm. in case of woollen yarn.

(g) Month and year of packing.

(h) The words "Pure Wool" in case of woollen yarn containing not less than 95 per cent of new wool by weight.

(i) Number of plies when the yarn is in multiple ply.

(j) Coefficient of variation (CV) . in case of Cotton Yarn and manmade fibre spun yarn.

Note.—(i) In case of yarn is spun from cotton or man-made fibre, count of yarn shall be indicated in English Count, and in case of woollen yarn, its counts shall be indicated in new mertic (N.M.) counts.

(ii) In case of yarn on cones, the label containing the prescribed markings as above may be pasted inside the cone, and in case of yarn on beam, the label containing the markings may be securely fastened to the beam.

11. In case of Man-made Continuous (Filament) Yarn, the following markings shall be made on yarn by the manufacturer on paper label securely pasted or attached on the bundle|package of yarn meant for sale in India :—

(a) Name and address of the manufacturer.

(b) Net weight in kg. of yarn in the package.

(c) Denier of yarn with number of Filaments, and twist per metre preceded by the word "Filament Yarn" and its generic name, such as "Polyester", "Viscose", "Nylon", "Polynosic" or "Acrylic" etc. as the case may be, as illustrated below :—

"Polyester Filament Yarn ..... 40|12|600"

Note:—In case of man-made filament yarn on cones|cops, the net weight in kg. as per item (b) above, may be marked only on each carton and not on each cone|cop.

PART IV—Marking on Non-Controlled Cloth :

12. Stamping of price :

(1) On each piece of non-controlled variety of cloth, the price shall be stamped on the faceplait as follows :—

(a) In case of piece of cloth in running length, the words,

(i) "Ex-factory Price including Excise Duty" per metre and the amount thereof, and

(ii) "Maximum Retail Price per Metre Excluding Local Taxes" and the amount thereof.

(b) In case of saree, dhoti, bed-sheet, handkerchief, pillow case, napkin, towel, blanket etc., which are sold in specified lengths when packed in pairs,

(i) the words "Ex-factory Price per pair including Excise Duty" and the amount thereof per pair,

(ii) the words "Maximum Retail Price per pair Excluding Local Taxes" and the amount of such maximum retail price per pair.

(iii) On the other end of the second piece when packed in pair the words "Maximum Retail Price Per Pair Excluding Local Taxes" and the amount of maximum retail price per pair.

(c) When cloth specified in (b) above is packed in singles, on the faceplait of each single piece, (i) the words "Exfactory Price including Excise Duty Per Piece" and the amount thereof and (ii) the words, "Maximum Retail Price Per piece Excluding Local Taxes" and the amount thereof.

2. On every metre of a piece of cloth in running length at a height not exceeding 2.5 cm. from the selvedge, the words "Maximum Retail Price per metre Excluding local Taxes" and the amount of such maximum retail price in figure, shall be stamped alternatively on each metre in English Capital letters and in Hindi in Devnagari Script.

(3) No price markings other than those prescribed under this Notification above shall be stamped on non-controlled cloth.

13. Other Markings:

The following markings shall be made on the faceplait of each piece of non-controlled variety of cloth :—

(a) Name and address of the manufacturer;

(b) Description of the cloth, for example, "dhoti", "saree", "shirting", "Suitings",.

(c) Sort number of the cloth;

(d) Length in metres and width in cm.;

(e) Month and year of packing;

(f) The words, "Dyed in Direct Colour Not fast to Bleach" for cloth dyed in direct colour or in which yarn dyed in direct colour has been used;

(g) The words, "Seconds" or "Damaged Piece" when the piece of cloth is classified as "Seconds" or "Damaged Piece" as the case may be;

(h) In case of Woollen cloth containing at least 95 per cent wool, the words "Pure Wool";

(i) In case of cloth made from man-made fibre or filament yarn, the words "Made From", followed by the words "Spun × Spun", or "Filament × Filament" or "Spun × Filament", as the case may be;

(j) The exact composition of the cloth expressed in percentage by weight of each of the individual constituents to the total yarn content of both warp and weft put together, as illustrated below :—

(i) "Polyester .. 100 per cent"
or
"Cotton ... 100 per cent"
or
"Viscose .. 100 per cent"

(ii) In the case of Blended cloth the words "Blended Fabic" followed by the generic name of each constituent and its exact percentage by weight in the decending order shall be stamped, as illustrated below:—

"Blended Fabric"

Polyester	...	40 per cent
Cotton	...	38 per cent
Viscose	..	22 per cent
or		
Cotton	..	60 per cent
Polyester	...	40 per cent
or		
Wool	...	40 per cent
Polyester	..	38 per cent
Viscose	...	22 per cent

Note :—

(i) In case of shoddy woollen blankets, minimum content of wool shall be stamped.

(ii) When the percentage of any fibre is less than 2 per cent of the total fibre content in the blended fabric, the percentage of such fibre need not be stamped.

(iii) The markings as at item (j) above shall also be made on every alternate metre of the cloth at a height not exceeding 2.5 cm. from the selvedge.

14. In addition to the markings and stampings as prescribed in the foregoing clauses, manufacturer or a person who as manufacturer of the cloth, has caused the said markings made on it, may stamp their own markings only when such markings are either their registered Trade Marks under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 or under any other enactment for the time being in force, or which describes correctly the composition, construction, quality or process which the word or expression used for such markings may intend to carry or suggest.

15. In the case of embroidered cloth i.e. cloth decorated with designs formed by extra threads with the help of needles, meshcloth, towels, furnishing fabrics, tapestry cloth, jacquard cloth, corduroy cloth, woollen suit piece length, Handkerchief, raised blanket, bed sheet and lint cloth, the markings prescribed under this Notification may be made either on the face plait of such cloth or on a piece of paper securely stuck on such cloth or on a piece of cloth securely stitched to or tagged on to such cloth.

PART—V

16. Markings on bales or other packages :—

The following markings shall be made on every bale, wooden case or other package of cloth or yarn in the manner detailed herein-after :—

(a) Name of the manufacturer;

(b) The word "Grey" or "Bleached" or "Coloured" correctly describing the entire contents of such bale, case of package under one or the other of these descriptions.

Note :—

For the purpose of such markings "grey" cloth and "Bleached" cloth mean, respectively grey and bleached cloth of every description, including sarees, dhoties or other cloth with coloured borders or headings only; and co-colored cloth means piece-dyed cloth, printed cloth made wholly or partly from dyed yarn and excludes grey or bleached sarees, towels or other cloth with coloured borders or headings only.

(c) "Chindies", "Rags", "Fents", "Seconds" or "Damaged Pieces" as the case may be.

(d) The words "Mills Shop Bale" in respect of bale or package containing cloth for retail sale direct to the consumer from a shop owned by the manufacturer.

(e) When a bale or package contains yarn :—

(i) Name of the manufacturer;

(ii) Counts of Yarn;

(iii) The month and year of packing;

(iv) Gross weigh in kg.;

ARUN KUMAR, Textile Commissioner.

ANNEXURE - A

FORM

(IN TRIPLICATE)

(Appendix to Notification No. CER/(14)/87-CLB Dated)

Subject : Movement of Processed Cloth for further processing.

[Reference Clause 4 (f)]

1. Details of cloth from the owner/manufacturer for processing Full description of the cloth viz fibre composition, construction and processes carried out so far with Sort No. Trade No.	Qty. in metres length × width	Central Excise AR No. Date.

2. Type of process to be further Carried out by the Processor.

3. Probable Period of Processing.

4. Detailed instruction for packing, and markings including prices to be stamped by the process or after completion of (2) above.

5. Name, Postal address, Seal and Signature of the Owner/Manufacturer.	Name Postal Address, Seal and Signature of the Processor.
Ref. No. Date	Ref. No. Date

(By Regd A/D)

To : Regional Office of the
Textile Commissioner,
BOMBAY/AHMEDABAD/MADRAS/KANPUR/
COIMBATORE/AMRITSAR/CALCUTTA.

ANNEXURE - B

FORM

(Appendix to Notification No. CER/(14)/87-CLB Dated.....)

Subject : Columns in Register for maintaining of receipt of processed cloth from a pro essor by another processor for further processing.

Reference Clause 4(f)

1. S. No.
2. Full description of the cloth viz. fibre composition, construction and processes carried out so far :
3. Quantity in metres length x width
4. Central Excise A.R. No. Date :
5. Sort No.
6. Trade No.
7. Type of process to be carried out :
8. Probable date for processing :
9. Detailed instructions regarding (a) packaing,
   (b) statutory marking under this Notification.
10. Date of receipt of cloth.
11. Transport by which received and details threof :
12. Date of excise clearance and AR No. from the second processor:
13. Date of despatch of the goods.
14. Address to which the goods despatched.
15. Transport details.

ANNEXURE - C

[Notification No. CER (14)/87-CLB dated Reference to Clause 2)]

For the purpose of the Notification, each of the items listed below shall be considered as defect :—

(1) A float measuring 7 cm or more in length and 0.6 cm or more in width within a range of any 10 metres or less in length of the cloth or on the border of a dhoti or a saree.

(2) A crack having—

(a) More than three picks missing in cloth made with 48 or less picks per 2.5 cm

(b) More than four picks missing in a cloth made with more than 48 picks per 2.5 cm.

(3) A hole, cut or tear exceeding 0.3 cm but does not exceed 0.6 cm in size when in the body of the cloth, or exceeding 0.6 cm but does not exceed 1.2 cm in size when on the selvedge.

(4) Weft bar due to either difference in raw material used, denier' twist, lustre or difference in colour or shade in the dyeing of the cloth, or due to picks spacing for adjacent groups of weft yarn.

(5) When the cloth has more than two broken/missing ends going together in one place and forming a warp way crack having length exceeding 15 cm.

(6) When the cloth has a noticeable oil stains marks in its body.

(7) When the cloth has oily weft or prominently noticeable slub or conspicuously broken pattern either printed or woven, or gout due to foreign matters such at lint or waste materials woven into the cloth.

(8) If the cloth is dyed or printed, has any prominent water mark or matu mark or any blurred or dark patch or uneven dying in the body.

(9) Any printing defect which mark the general appearance of the fabric.

(10) If the cloth has a local milling or scouring or piling or raising defect.

(11) Defective hemming when the cloth is sold in units such as blankets etc.

(12) If the cloth has any prominently visible knot or warp or weft threads tied into a projection easily visible or felt by touch.

(13) In case of dhoti and saree, if any heading is missing to be packed as "Damaged cloth only").

(14) A smash definitely rupturing the texture of the cloth.

(15) Hole, cut or tear, if it exceeds 0.6 cm in size in the body or exceeds 1.2 cm in size in the selvedge (To be packed as "Damaged cloth" only).

(16) A prominently noticeable double ends running throughout the length of the piece (in the case of woollen cloth only).

(17) Undressed snarls noticeable over a length exceeding 5% of the length stamped on the piece. (in the case of woollen cloth only).

(18) Any thinly or heavily dyed selvedged being dyed differently from the body of the fabric resuting is non-informity of shade and extending beyond 1.2 cml inside the fabric through-out. (in the case of woolen cloth only).

(19) Shading or listing having gradual change in tone or depth of shade of the fabric which may be liable to impart different shades to the component parts of the garments when made-fromthe cloth.

(20) Patchy or streaky dyeing on the face side of the woollen fabric through-out resulting in non-uniformity in the shade of the fabric.

(21) In the case of milled and scoured woollen cloth, excess or deficiency of cover, due to difference in milling, scouring or raising.

(22) Prominent mill rigs, such as felted folds and crease produced during milling.

(23) Prominent water marks all over the cloth (in case of woollen cloth).

(24) Cockled finish causing defective appearance in texture of the fabric through out the piece due to irregular tension, unbalanced or defective processing.

(25) Any defect or defects which are of a serious nature anwhich may affect the utility of the cloth, shall be packed as 'Damaged Piece only.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987